रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1994/श्रावण 17, 1916
No. 117] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1994/SRAVANA 17, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 229 (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1994

फाइल सं. 3/29/94 आईपी सी-2.—यथासंशोधित निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

अध्याय-10 के पैराग्राफ 202 क (1) के उप पैराग्राफ (क) की समाप्ति के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"बहरहाल, निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई पी जैड) या निर्यातोन्मुख यूनिटों (ई ओ यू) में स्थित यूनिटों को घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से सप्लाई के संबंध में विशेष आयात

लाइसेंस देने हेतु संबंधित ई पी जेड के विकास आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत किये जायेंगे।"

2. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

डॉ. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 229|(PN)|92—97

New Delhi, the 8th August, 1994

File No. 3|29|94-IPC-II.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

In Chapter X, in paragraph 202A(I), the following shall be added after the end of sub-paragraph (a) :—

"However, in respect of supplies from DTA to the units located in Export Processing Zones (EPZs) or Export Oriented Units (EOUs), the application for grant of Special Import Licence shall be made to the Development Commissioner of EPZs concerned."

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994